रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 25 नवम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 04, 1945 शक संवत्) [संख्या 47

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	675–676	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1641–1654	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	195–212	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	651–665	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

सेवानिवृत्ति

28 फरवरी, 2023 ई0

सं0 588(अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश सं0 345/(अधि0)वि0प0-267/84, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के क्रम में श्री राम नयन, उपसचिव, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 28 फरवरी, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो गये।

नियुक्ति

16 मार्च, 2023 ई0

सं0 716(अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति आदेश सं0 588/अधि0,वि0प0-267/84, दिनांक 28 फरवरी, 2023 के द्वारा रिक्त हुये उपसचिव के राजपत्रित पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-6 (1-घ) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री प्रताप नारायण द्विवेदी, अनुसचिव को उपसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (78,800-2,09,200) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

20 मार्च, 2023 ई0

सं0 731(अधिष्ठान) वि0प0-47/20—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश सं0 716/अधि0,वि0प0-47/20, दिनांक 16 मार्च, 2023 के द्वारा श्री प्रताप नारायण द्विवेदी, अनुसचिव को उपसचिव के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये अनुसचिव के पद पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-घ) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली-1976 के नियम-30 (क) के अन्तर्गत श्री सतीश कुमार यादव, अनुभाग अधिकारी को अनुसचिव के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (67,700-2,08,700) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—35 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 नवम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 04, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

August 22, 2023

No. 40–Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 22.08.2023, Sri T. Lakshman Kumar (Emp. No. 2924), presently holding the ex-cadre post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary to Hon'ble the Senior Judge, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby repatriated to his original post and pay scale (Level 12 as per 7th Pay Commission) of Deputy Registrar-cum Private Secretary Grade-III.

No. 41–From the date of taking over charge, Sri Fahim Akhtar (Emp. No. 1559), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby appointed on the ex-cadre post of Joint Registrar-cum-Joint Principal Private Secretary to Hon'ble Mr. Justice Attau Rahman Masoodi, Senior Judge, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, in the pay scale of Level 13 (as per 7th Pay Commission), as per Rule 4 J (III) read with Rule 6(I) and Rule 13 of The Allahabad High Court Private Secretaries (Conditions of Service) Rules, 2001 (amended in 2019), till further orders.

By order of Hon'ble
the Chief Justice,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

August 23, 2023

No. 42–From the date of taking over charge, the following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III of High Court Allahabad is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms./Smt.)–	
1	1502	Poonam Patel	In the vacancy occurred on account of retirement of Sri Gulab, *Lko.*

No. 43–From the date of taking over charge, the following Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II of High Court, Allahabad/Lucknow Bench, are hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms./Smt.)–	
1	3513	Kushal Agrawal	In the vacancy occurred on account of handing over charge of D.R.-cum-P.S. Gr-III by Sri Mohd. Fahim Akhtar [appointed on the ex-cadre post of J.R.-cum-J.P.P.S. to Hon'ble the Senior Judge, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, vide Notification No.41 dated 22.08.2023 (issued under the orders 22.08.2023 of Hon'ble the Chief Justice)].
2	3514	Pradeep Singh, *Lko.*	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Smt. Poonam Patel.

No. 44–From the date of taking over charge, the following Private Secretary Grade-I of High Court Allahabad/Lucknow Bench, are hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Remarks
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms./Smt.)–	
1	3637	Arvind Kumar Srivastava, *Lko.*	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Kushal Agrawal.
2	3639	Jyotsana Singh	In the vacancy to be occurred on account of promotion of Sri Pradeep Singh, *Lko.*

(*The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from ex-cadre posts and repatriation of officers who are presently deputed in Hon'ble the Supreme Court of India, to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any*).

No. 45–From the date of taking over charge, Sri Sanjay John, Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, (Emp. No. 2003), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs.1,31,100-2,16,600, level-13-A in the vacancy caused due to retirement of Sri Vijay Shanker Dubey-II.

No. 46–From the date of taking over charge, Sri Ramesh Chandra Srivastava, Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, (Emp. No. 3444), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs.1,31,100-2,16,600, level-13-A in the vacancy caused due to retirement of Sri Satya Prakash Singh.

No. 47–From the date of taking over charge, Sri Vijay Kumar Singh, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 4045), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to promotion of Sri Satya Prakash Singh (on 27.07.2023).

No. 48–From the date of taking over charge, Sri Sanjay Sharma, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 4077), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused, due to retirement of Sri Ram Singh.

No. 49–From the date of taking over charge, Sri Shrikar Mishra, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 6044), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to retirement of Sri Vinayak Prasad Pandey.

No. 50–From the date of taking over charge, Sri Rajesh Kumar Srivastava, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 6029), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy to occur due to promotion of Sri Sanjay John.

No. 51–From the date of taking over charge, Sri Sriram Tripathi, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 4086), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs. 1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy to occur due to promotion of Sri Ramesh Chandra Srivastava.

No. 52–From the date of taking over charge, Sri Vinay Kumar Soni, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 7130), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to retirement of Sri Sanjay Srivastava.

No. 53–From the date of taking over charge, Sri Sant Raj Kumar, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 2956), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to retirement of Sri Rajesh Kumar Mishra.

No. 54–From the date of taking over charge, Km. Binu Sonkar, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 7032), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy to occur due to promotion of Sri Vijay Kumar Singh.

No. 55–From the date of taking over charge, Sri Umesh Kumar, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 6082), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy to occur due to promotion of Sri Sanjay Sharma.

No. 56–From the date of taking over charge, Sri Nand Lal-III, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 4051), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy to occur due to promotion of Sri Shrikar Mishra.

No. 57–From the date of taking over charge, Sri Vineet Srivastava, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 7144), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy to occur due to promotion of Sri Rajesh Kumar Srivastava.

No. 58–From the date of taking over charge, Sri Sayed Arif Hussain, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 2973), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy to occur due to promotion of Sri Sriram Tripathi.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Mukesh Kumar Srivastava (Emp. No. 2758), J.R.-cum-B.S. Grade- IV, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court, Sri Haribans Chauhan (Emp. No. 2963), D.R.-cum-B.S. Grade-III, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court, in place of that Sri Sant Raj Kumar (Emp. No. 2956) posted at High Court Lucknow Bench, Lucknow, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon his promotion on the post Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, Sri Sarveshwar Singh (Emp. No. 7565), A.R.-cum-B.S. Grade-II, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court).

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

August 24, 2023

No. 59–Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 20.08.2023, Sri Kallu Prasad (Emp. No. 3323), Section Officer is hereby confirmed on the post of Section Officer from the due date *i.e.* with effect from 24.12.2012.

By order of Hon'ble
the Chief Justice,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

August 30, 2023

No. 60–Sri Kallu Prasad (Emp. No. 3323) Section Officer is hereby :

- notionally promoted as Assistant Registrar *w.e.f.* 10.05.2016, the date his junior Sri Mohd. Naushey (Abbasi) (Emp. No. 3324) (now retired) was promoted as Assistant Registrar, vide Notification No. 37 dated 10.05.2016 ;

- notionally promoted as Deputy Registrar *w.e.f.* 30.08.2019 (A.N.), the date his junior Sri Brijesh Kumar Shukla (Emp. No. 3325) was promoted as Deputy Registrar, vide Notification No. 35 dated 30.08.2019;

- notionally promoted as Joint Registrar *w.e.f.* 07.05.2021 (A.N.), the date his junior Sri Brijesh Kumar Shukla (Emp. No. 3325) has been promoted as Joint Registrar, *vide* Notification No. 113 dated 07.05.2021 read with Notification No. 66 dated 14.09.2021. His name is placed above the name of Sri Brijesh Kumar Shukla (Emp. No. 3325) in the gradation list of Joint Registrar. His actual promotion on the post of Joint Registrar will be from the date he takes over charge as Joint Registrar.

September 11, 2023

No. 61–The following Bench Secretaries Grade-I of High Court of Judicature at Allahabad are hereby repatriated to their parent post of Review Officer along with restoration of their seniority on the post of Review Officer, with the condition that they will not be allowed to participate in any future departmental examination of Bench Secretary Grade-I :

Sl. No.	Emp. No.	Name	Present Designation
1	2	3	4
		(S/Sri/Ms./Smt.)–	
1	8005	Vibhrati Kumar	Bench Secretary Grade-I
2	7698	Abhimanyu Kumar Gupta	Bench Secretary Grade-I

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

September 12, 2023

No. 62–Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 04.09.2023, Smt. Alka Singh (Emp. No. 4015), Section Officer is hereby confirmed on the post of Section Officer with effect from 10.01.2020.

By order of Hon'ble
the Chief Justice,
(*Sd*.) ILLIGIBLE,
Registrar General.

September 13, 2023

No. 63–Sri Gobardhan (Emp. No. 4082), Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby notionally promoted to the post of Assistant Registrar *w.e.f.* 09.09.2019 A.N., the date his junior Sri Sharad Chandra Agnihotri (Emp. No. 2744) was promoted as Assistant Registrar vide Notification No. 50 dated 09.09.2019, along with all consequential service benefits, including refixation of his seniority.

September 20, 2023

No. 64–From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Registrar, in pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3279	Sri Ram Kripal Maurya, *Lko.*

No. 65–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri.)–
1	3424	Ram Rakhan Singh
2	3428	Ravi Prakash Srivastava
3	2730	Ashok Kumar Yadav, *Lko.*
4	3386	Vijaya Bahadur Yadava
5	3433	John Caeser
6	3445	Rajesh Kumar Gupta
7	3473	Devesh

(Under Rule 20 (d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% "attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Suresh Chandra Mishra (Emp. No. 3275), Registrar, Sri Ravi Bhushan (Emp. No. 3463), Joint Registrar, Sri Dharmendra Kumar Pathak (Emp. No. 3397), Joint Registrar, Sri Jeetendra Kumar Gupta (Emp. No. 3439), Joint Registrar and Sri Permanand Misra (Emp.

No. 3418), Joint Registrar, all posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad. Further, Sri Ram Rakhan Singh (Emp. No. 3424), Sri Ravi Prakash Srivastava (Emp. No. 3428), Sri Vijaya Bahadur Yadava (Emp. No. 3386), Sri John Caeser (Emp. No. 3433), Sri Rajesh Kumar Gupta (Emp. No. 3445) and Sri Devesh (Emp. No. 3473), all posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar).

By order of Hon'ble Court,
(*Sd*.) ILLIGIBLE,
I/c. Registrar General.

September 25*,* 2023

No. 66–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3474	Arvind Kumar Verma
2	4005	Rakesh Kumar Srivas
3	2651	Dinesh Kumar Srivastava, *Lko.*

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

(The promotion notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Ram Rakhan Singh (Emp. No. 3424), Joint Registrar and Sri Ravi Prakash Srivastava (Emp. No. 3428), Joint Registrar, posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad. Further, Sri Arvind Kumar Verma (Emp. No. 3474) and Sri Rakesh Kumar Srivas (Emp. No. 4005), both posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar).

October 03*,* 2023

No. 67–From the date of taking over charge, Sri Girijesh Kumar Srivastava, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 6022), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to retirement of Sri Kuldeep Singh.

No. 68–From the date of taking over charge, Sri Alok Kumar, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 7101), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registra cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Girijesh Kumar Srivastava.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

No. 69–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	2654	Arvind Kumar Srivastava, *Lko.*
2	4036	Rajesh Kumar Pandey

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Vijaya Bahadur Yadava (Emp. No. 3386), Joint Registrar, posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad. Further, Sri Rajesh Kumar Pandey (Emp. No. 4036), posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar).

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

October 12, 2023

No. 70–The following Deputy Registrar-cum-Private Secretaries Grade-III are hereby granted the benefits of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Third Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against their names in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
		(S/Sri)–	
1	1522	Rajeev Kumar Sachdeva	02.01.2023
2	3156	Kailash Chandra Singh *(Retired on 30.06.2023)*	28.02.2023

No. 71–The following Chief Documentation Officer-cum-Chief Librarian is hereby granted the benefits of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Third Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name	Date of Grant of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2	3	4
1	2733	Sri Amitabh Saran (*Retired on 28.02.2023)*	06.02.2023

By order of Hon'ble Court,
(*Sd*.) ILLIGIBLE,
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]

October 12, 2023

No. 72–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	4268	Ram Sewak, *Lko.*
2	4082	Gobardhan
3	6016	Ajeet Kumar Gond
4	6023	Vivek Srivastava, *Lko.*
5	6014	Ved Prakash Sharma
6	6030	Virendra Pratap
7	6026	Sharad Kumar Khare
8	6031	Sudhir Kumar Gupta
9	6032	Samir Mitra Gupta
10	6033	Mohd. Saleem Farooqui
11	2101	Aloke Mojumdar
12	6034	Smt. Rashmi Sharma
13	6037	Smt. Neena Gupta
14	2751	Kaushlendra Chaturvedi, *Lko.*
15	6039	Sanjay Kumar Srivastava
16	2777	Umesh Kumar Verma, *Lko.*
17	6049	Dharmendra Verma
18	6046	Smt. Poonam Budh Ghosh
19	6047	Mithaie Lal Patel
20	6048	Sanjai Srivastava

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Arvind Kumar Srivastava (Emp. No. 6025), Deputy Registrar and Sri Suresh Srivastava (Emp. No. 6012), Deputy Registrar, both posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad. Further, Sri Mithaie Lal Patel (Emp. No. 6047) and Sri Sanjai Srivastava (Emp. No. 6048), both posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Depuiy Registrar).

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE 'G -II' SECTION

NOTIFICATION

August 03*,* 2023

The Allahabad High Court (Right to Information)
(Amendment) Rules, 2023

No. 794/2023/Admin. 'G-II"–In excercise of powers conferred by section 28 of the Right to Information Act, 2005, the Chief Justice of High Court of Judicature at Allahabad, hereby makes the following amendment in Allahabad High Court (Right to Information), Rules 2006 to carry out the provision of the Act.

1. Short title and commencement.–

(1) These Rules may be called "The Allahabad High Court (Right to Information) (Amendment) Rules, 2023.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definition.-In these Rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006".

3. Amendment of Rule 3.-Rule 3 of the Rules shall be amended as follows-

Existing provision	Amendment
3. Every application shall be made for one particular item of information only.	3. Every application shall be made for one particular item of information only. The application may also be submitted through RTI Online web portal.

4. Insertion of clause (iii) in Rule 4.-Clause (iii) shall be inserted in Rule 4 of the Rules as follows.-

(iii) Fee in respect of online application shall be submitted through RTI Online web portal.

5. Amendment of Rule 7.-Rule 7 of the Rules shall be amended as follows :

Existing provision	Amendment
7. A person, who desires to obtain any information under this Act, may make a request to the Central Public Information Officer in writing in English or in Hindi.	7. A person, who desires to obtain any information under this Act, may make a request to the Central Public Information Officer in writing or through RTI online web portal, in English or in Hindi.

By order of the Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

August 29, 2023

No. 2061/Admin.(Services)/2023–Sri Ashutosh Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Gorakhpur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Gorakhpur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Sangeeta Gaur.

No. 2062/Admin.(Services)/2023–Smt. Sangeeta Gaur, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Gorakhpur to be Civil Judge (Junior Division) (Fast Track Court), Gorakhpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Smt. Shashi Kiran.

No. 2063/Admin.(Services)/2023–Smt. Shashi Kiran, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court) Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushinagar at Padrauna).

No. 2064/Admin.(Services)/2023–Sushri Sanghmitra, Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot to be Civil Judge (Junior Division), Mau-Chitrakoot.

No. 2065/Admin.(Services)/2023–Sushri Shefali Yadav, Civil Judge (Junior Division), Mau-Chitrakoot is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Chitrakoot.

September 04, 2023

No. 2066/Admin.(Services)/2023–Sri Arun Gautam, Additional Civil Judge (Junior Division), Gonda to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Gonda for trying cases of crime against women.

No. 2067/Admin.(Services)/2023–Sushri Neetika Rajput, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Gonda to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Gonda against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Rohit Soni.

No. 2068/Admin.(Services)/2023–Pursuant to U.P. Government Notification No. /2023/737/Saat-Nyay-2-2023-216G/2007 T.C.-III dated 30.08.2023, Sri Rohit Soni, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Gonda is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Tarabganj District Gonda in the newly created court, created vide G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 T.C.-III, dated 24.11.2015.

September 11, 2023

No. 2069/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Ram Sulin Singh, District & Sessions Judge, Ambedkar Nagar at Akbarpur till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2070/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Susri Shelly Roy, Additional Principal Judge, Family Court, Farrukhabad till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2071/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Sanjay Kumar-VII, District & Sessions Judge, Ghazipur till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

No. 2072/Admin.(Services)/2023–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Nisha Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Prayagraj till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

September 12, 2023

No. 2073/Admin.(Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. /2023/780/Saat-Nyay-2-2023-58G /2001 dated 11.09.2023, Sri Anupam

Goyal, District & Sessions Judge, Hamirpur to be Principal Judge, Family Court, Muzaffar Nagar.

No. 2074/Admin.(Services)/2023–Sri Satya Nand Upadhyay, Principal Judge, Family Court, Muzaffar Nagar to be Presiding Officer, Commercial Court, Meerut.

No. 2075/Admin.(Services)/2023–Sri Vishnu Kumar Sharma, District & Sessions Judge, Chitrakoot to be District & Sessions Judge, Hamirpur.

No. 2076/Admin.(Services)/2023–Sri Vikas Kumar-I, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Auraiya to be District & Sessions Judge, Chitrakoot.

No. 2077/Admin.(Services)/2023–Sri Jai Prakash Tiwari, District & Sessions Judge, Maharajgani to be District & Sessions Judge, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

No. 2078/Admin.(Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. /2023/780/Saat-Nyay-2-2023-58G /2001 dated 11.09.2023, Sri Achal Sachdev, District & Sessions Judge, Rampur to be Principal Judge, Family Court, Azamgarh.

No. 2079/Admin.(Services)/2023–Sri Neeraj Kumar, Presiding Officer, Commercial Court, Meerut to be District & Sessions Judge, Maharajganj.

No. 2080/Admin.(Services)/2023–Sri Satya Prakash Tripathi, Principal Judge, Family Court, Raebareli to be District & Sessions Judge, Rampur.

No. 2081/Admin.(Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. /2023/780/Saat-Nyay-2-2023-58G /2001 dated 11.09.2023, Sri Rajeshwar Shukla, Principal Judge, Family Court, Fatehpur to be Principal Judge, Family Court, Gorakhpur.

September 16*,* 2023

No. 2082/Admin.(Services)/2023–Sri Gagan Deep, Additional Civil Judge (Junior Division), Mainpuri to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mainpuri for trying cases of crime against women *vice* Sri Rajeev Kumar Pal.

No. 2083/Admin.(Services)/2023–Sri Rajeev Kumar Pal, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mainpuri to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mainpuri against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Prashant Verma.

No. 2084/Admin.(Services)/2023–Pursuant to U.P. Government Notification No. /2023/768/ Saat-Nyay-2-2023-216G/2007 T.C.-III dated 14.09.2023, Sri Prashant Verma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mainpuri is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Karhal District Mainpuri in the newly created court, created vide G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 T.C.-III, dated 24.11.2015.

No. 2085/Admin.(Services)/2023–Pursuant to U.P. Government Notification No. /2023/768/Saat-Nyay-2-2023-216G/2007 T.C.-III dated 14.09.2023, Sri Deependra Kumar Singh-II, Additional Civil Judge (Junior Division), Deoband (Saharanpur) is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Mankapur District Gonda.

No. 2086/Admin.(Services)/2023–Sri Prince Jindal, Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Mankapur (Gonda) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Deoband (Saharanpur).

No. 2087/Admin.(Services)/2023–Smt. Aditi Jain, Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur to be Civil Judge (Junior Division), Lalitpur *vice* Sri Ranjeet Kumar Verma.

No. 2088/Admin.(Services)/2023–Pursuant to U.P. Government Notification No. /2023/768/Saat-Nyay-2-2023-216G/2007 T.C,-III dated 14.09.2023, Sri Ranjeet Kumar Verma, Civil Judge (Junior Division), Lalitpur is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Talbehat District Lalitpur.

September 19*,* 2023

No.2089/Admin.(Services)/2023–Smt. Priyanka Saran, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jalaun at Orai to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jalaun at Orai for trying

cases of crime against women *vice* Smt. Anukriti Sant.

No. 2090/Admin.(Services)/2023–Smt. Anukriti Sant, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jalaun at Orai is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai *vice* Sri Shashank Gupta.

No. 2091/Admin.(Services)/2023–Pursuant to U.P. Government Notification No. 41/2023/790/ Saat- Nyay -2-2023-216G /2007 T.C.-II dated 15.09.2023, Sri Shashank Gupta, Judicial Magistrate, First Class, Jalaun at Orai is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Madhogarh District Jalaun at Orai.

September 23, 2023

No. 2092/Admin.(Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. 794/Do-4-2023 dated 21.09.2023, Sri Pradip Singh, Principal Judge, Family Court, Kaushambi is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Prayagraj, (South).

September 26, 2023

No. 2093/Admin.(Services)/2023–Smt. Jyotsna Siwach, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lucknow for trying cases of crime against women *vice* Sri Rajneesh Mohan Verma.

No. 2094/Admin.(Services)/2023–Pursuant to Government Notification No. U.O.-103/Chh-Pu.-9-23-167G/09-Nyay-2 dated 23.09.2023 Sri Rajneesh Mohan Verma, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court, Anti-corruption, C.B.I., Court No. 04, Lucknow.

No. 2095/Admin.(Services)/2023–Sri Mahesh Chandra Verma, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ballia *vice* Sri Ravi Karan Singh.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ballia against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2096/Admin.(Services)/2023–Sri Ravi Karan Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Ballia.

No. 2097/Admin.(Services)/2023–Sri Pratham Kant, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ballia in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, *vice* Sri Harish Chandra.

No. 2098/Admin.(Services)/2023–Sri Harish Chandra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission.

No. 2099/Admin.(Services)/2023–Sri Rahul Dubey, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia for trying cases of crime against women.

October 03, 2023

No. 2100/Admin.(Services)/2023–Pursuant to U.P. Government Notification No. /2023/815/Saat-Nyay-2-2023-216G/2007 T.C.-III dated 27.09.2023, Sri Abhishek Kumar Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Moradabad is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Bilari District Moradabad in the newly created court, created vide G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 T.C.-III, dated 24.11.2015.

By order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

कार्यालय, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र, बरेली

04 फरवरी, 2023 ई0

सं0 939/मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल/बिजनौर-65/परिक्षेत्र/2022-23—जनपद बिजनौर में स्थापित मेसर्स मारूति मोटर प्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 04 किलोमीटर मील पत्थर दिल्ली रोड बिजनौर की अनुज्ञप्ति संख्या-73/बरेली/परि0/2017 दिनांक 17 अगस्त, 2017 शाकुम्बरी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, बिजनौर के नाम से जारी की गयी थी, जो दिनांक 18 अगस्त, 2022 तक वैध थी।

शाकुम्बरी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, बिजनौर द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2023 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मैसर्स मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रैनिंग स्कूल वर्तमान में पूर्ण रूप से बन्द है और भविष्य में न ही इसको संचालित करने की कोई संभावना है, इसलिए वह मैसर्स मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की अनुज्ञप्ति संख्या 73/बरेली/जोन/2017 को निरस्त कराना चाहते हैं। इस कार्यालय के पत्र संख्या-884/मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल/बिजनौर-65/परिक्षेत्र/2022-23 दिनांक 24 जनवरी, 2023 के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बिजनौर से मैसर्स मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालन होने अथवा न होने के संबंध में आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुपालन में पत्र संख्या-258/सा0प्र0/मो0ड्रा0ट्रे0स्कूल/2023 दिनांक 01 फरवरी, 2023 के माध्यम से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बिजनौर द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) बिजनौर द्वारा मैसर्स मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 04 किलोमीटर मील पत्थर दिल्ली रोड बिजनौर का भौतिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण की तिथि को उक्त स्थान पर कोई भी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित नहीं पाया गया। साथ ही शाकुम्बरी ऑटोमोबाइल का पत्र संख्या 02/एमडीएस/2023 दिनांक 01 फरवरी, 2023 उपलब्ध कराया गया, जिसमें मैसर्स मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बन्द किये जाने का उल्लेख है।

अतः शाकुम्बरी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, बिजनौर द्वारा अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने के संबंध में किये गये अनुरोध तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बिजनौर की प्राप्त आख्या के आधार पर मैं, संजय सिंह, उप परिवहन आयुक्त, बरेली परिक्षेत्र, बरेली मैसर्स मारूति मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, 04 किलोमीटर मील पत्थर दिल्ली रोड, बिजनौर की अनुज्ञप्ति संख्या-73/बरेली/जोन/2017 जारी दिनांक 17 अगस्त, 2017, जिसकी वैधता दिनांक 16 अगस्त, 2022 तक है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

संजय सिंह,
उप परिवहन आयुक्त,
बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

कार्यालय, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, खीरी

08 नवम्बर, 2023 ई0

शुद्धि पत्र

सं0 2004/पी0के0—(कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, खीरी) दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के अनुसार, कार्यालय चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के विज्ञप्ति संख्या-3966/जी0-610/2023-24 आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2023 से उत्तर प्रदेश गजट, 21 अक्टूबर, 2023 में जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें पुनः आरम्भ करने हेतु गजट में प्रकाशित किया गया था। जिसमें कुछ त्रुटि हो गयी है। अतः उत्तर प्रदेश गजट, 21 अक्टूबर, 2023 के पेज संख्या-1474 पर प्रकाशित जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामों की सूची में क्रम संख्या-12 से 53 के स्तम्भ में तहसील का नाम धौरहरा के स्थान पर तहसील लखीमपुर सदर तथा स्तम्भ-4 में क्रमांक 12 से 27 तक में फिरोजाबाद के स्थान पर खीरी व क्रमांक-28 से 47 तक स्तम्भ-4 में फिरोजाबाद के स्थान पर पैला व क्रमांक-48 से 53 तक स्तम्भ-4 में फिरोजाबाद के स्थान पर भूड़ पढ़ा जाये।

ओ0 पी0 अंजोर,
बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी,
खीरी।

पी0एस0यू0पी0—35 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 नवम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 04, 1945 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 18 जुलाई, 2023 ई0 / आषाढ़ 27, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आजमगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 346-मुबारकपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 346-मुबारकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नरेन्द्र सिंह चौहान जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 346-मुबारकपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नरेन्द्र सिंह चौहान को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जरिये श्री नरेन्द्र सिंह चौहान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 831/निर्वाचन-नि0व्यय लेखा/2023-24 के जरिये आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 28 जून, 2023 के पत्र संख्या 857/निर्वाचन-आवंटन/2022-23 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नरेन्द्र सिंह चौहान ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नरेन्द्र सिंह चौहान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन क अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 346-मुबारकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र सिंह चौहान निवासी ग्राम-मुहम्मदपुर, मु0सागापाली, पोस्ट-हाजीपुर बरेसर, जिला-गाजीपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *18th July, 2023* / *27th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Azamgarh/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 346-Mubarakpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 99/61-2022 dated 10th February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 346-Mubarakpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Azamgarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Narendra Singh Chauhan, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 346-Mubarakpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Azamgarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Narendra Singh Chauhan for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Narendra Singh Chauhan was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 16th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Azamgarh, *vide* its letter no. 831/ निर्वाचन-नि0व्यय लेखा/2023-24; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 857/निर्वाचन-आवंटन/2022-23 dated 28th June, 2023 has reported that Shri Narendra Singh Chauhan has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Narendra Singh Chauhan has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Narendra Singh Chauhan resident of Village-Baisadiha, Post-Mundwar, Tehsil-Phoolpur, District-Azamgarh, a contesting candidate from 346-Mubarakpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 18 जुलाई, 2023 ई0 / आषाढ़ 27, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/आजमगढ़/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 349-फूलपुर-पवई विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-99/61-2022 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 349-फूलपुर-पवई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अमित कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 349-फूलपुर-पवई से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमित कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने

के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 831/निर्वाचन-नि0व्यय लेखा/2023-24 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 28 जून, 2023 के पत्र संख्या 857/निर्वाचन-आवंटन/2022-23 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमित कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अमित कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 349-फूलपुर-पवई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमित कुमार निवासी ग्राम-बैसाडीह, पोस्ट-मुंडवर, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *18th July, 2023* / *27th Ashadha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Azamgarh/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 349-Phoolpur Pawai Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 99/61-2022 dated 10th February, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 349-Phoolpur Pawai Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Azamgarh, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Amit Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 349-Phoolpur Pawai Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Azamgarh, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Amit Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Shri Amit Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 05th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Azamgarh, *vide* its letter no. 831/ निर्वाचन-नि0व्यय लेखा/2023-24; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Azamgarh in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 857/निर्वाचन-आवंटन/2022-23 dated 28th June, 2023 has reported that Shri Amit Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Amit Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Amit Kumar resident of Village-Baisadiha, Post-Mundwar, Tehsil-Phoolpur, District-Azamgarh, a contesting candidate from 349-Phoolpur Pawai Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 01 सितम्बर, 2023 ई0 / भाद्रपद 10, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/मेरठ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 46-किठौर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 46-किठौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दाउद जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 46-किठौर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दाउद को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 02 मार्च, 2023 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02 मार्च, 2023 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दाउद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20

दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने दिनांक 27 जून, 2023 के पत्र-संख्या 503/29-1490 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 02 मई, 2023 को उसके मकान पर मौजूद नहीं रहने के कारण चस्पा किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 के पत्र संख्या 585/29-1490 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दाउद ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री दाउद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 46-किठौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दाउद निवासी ग्राम-खानपुर बांगर इकला रसूलपुर, तहसील-मवाना, मेरठ को इस आदेश की तारीख से तीन-वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *01st September, 2023* / *10th Bhadrapada, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Meerut/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 46-Kithore Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 46-Kithore Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dt. 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Meerut, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Daud, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 46-Kithore Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Meerut, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 2nd March, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Daud for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 2nd March, 2023, Shri Daud was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted at the address given by the candidate on 2nd May, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Meerut, *vide* its letter no. 503/29-1490 dt. 27th June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Meerut in his Supplementary Report, *vide* its letter 585/29-1490 dated 28th July, 2023 has reported that Shri Daud has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Daud has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Daud resident of Village-Khanpur Bangar Ikla Rasoolpur, Tehsil-Mawana, District-Meerut, a contesting candidate from 46-Kithore Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 01 सितम्बर, 2023 ई0
भाद्रपद 10, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/मेरठ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 43-सिवालखास विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 43-सिवालखास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री नसीम जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 43-सिवालखास से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के

अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नसीम को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 02 मार्च, 2023 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02 मार्च, 2023 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री नसीम को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने दिनांक 27 जून, 2023 के पत्र-संख्या 503/29-1490 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पुत्र श्री सुऐब द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 के पत्र-संख्या-585/29-1490 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नसीम ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नसीम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 43-सिवालखास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री नसीम निवासी ग्राम व पोस्ट-जसड सुल्तानपुर, विकास खण्ड-सरूरपुर, तहसील सरधना, मेरठ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *01st September, 2023* / *10th Bhadrapada, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Meerut/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 43-Sivalkhas Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 43-Sivalkhas Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dt. 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Meerut, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Nasim, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 43-Sivalkhas Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Meerut, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 2nd March, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Nasim for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 2nd March, 2023, Shri Nasim was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by his son Shri Suheb on 28th April, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Meerut, *vide* its letter no. 503/29-1490 dt. 27th June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Meerut in his Supplementary Report, *vide* its letter 585/29-1490 dated 28th July, 2023 has reported that Shri Nasim has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Nasim has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Nasim resident of Village-Jasad Sultanpur, Tehsil-Sardhana, Meerut, a contesting candidate from 43-Sivalkhas Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 01 सितम्बर, 2023 ई0 / भाद्रपद 10, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/मेरठ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 46-किठौर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 46-किठौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री जैद जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 46-किठौर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री जैद को कारण बताओ नोटिस सं0-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 02 मार्च, 2023 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02 मार्च, 2023 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री जैद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने दिनांक 27 जून, 2023 के पत्र संख्या 503/29-1490 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 02 मई, 2023 को उसके मकान पर मौजूद नहीं रहने के कारण चस्पा किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 2023 के पत्र-संख्या-585/29-1490 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री जैद ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जैद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 46-किठौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जैद निवासी म0नं0-34, वार्ड नं0-1, मोहल्ला हरिजनों वाला, क़स्बा-किठौर, मेरठ, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *01st September, 2023*
10th Bhadrapada, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Meerut/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 46-Kithore Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 46-Kithore Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dt. 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Meerut, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Zaid, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 46-Kithore Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Meerut, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 2nd March, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Zaid for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 2nd March, 2023, Shri Zaid was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted at the address given by the candidate on 2nd May, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Meerut, *vide* its letter no. 503/29-1490 dt. 27th June, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Meerut in his Supplementary Report, *vide* its letter 585/29-1490 dated 28th July, 2023 has reported that Shri Zaid has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Zaid has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Zaid resident of H.No. 34, Ward No. 1, Mohalla Harijano Wala, Kithore, Meerut, a contesting candidate from 46-Kithore Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 13 सितम्बर, 2023 ई0 / भाद्रपद 22, 1945 (शक्)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/मेरठ/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 43-सिवालखास विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 43-सिवालखास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट दिनांक 08 अप्रैल, 2022 और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र-सं0-287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2022 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री भूपेन्द्र सिंह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 43-सिवालखास से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम-89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री भूपेन्द्र सिंह को कारण बताओ नोटिस सं.-76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 02 मार्च, 2023 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 02 मार्च, 2023 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री भूपेन्द्र सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा अपने दिनांक 16 अगस्त, 2023 के पत्र-संख्या-650/29-1490 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिए गए पते पर दो स्थानीय लोगो की उपस्थिति में दिनांक 19 जुलाई, 2023 को चस्पा किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2023 के पत्र-संख्या-650/29-1490 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री भूपेन्द्र सिंह ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री भूपेन्द्र सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क में अनुबंधित किया गया है कि:—

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 43-सिवालखास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बाफर, तहसील एवं जिला मेरठ, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *13th September, 2023* / *22nd Bhadrapada, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Meerut/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 43-Sivalkhas Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 43-Sivalkhas Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report dt. 08 April, 2022 submitted by the District Election Officer, Meerut, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Shri Bhupendra Singh, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 43-Sivalkhas Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Meerut, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 2nd March, 2023 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Bhupendra Singh for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 2nd March, 2023, Shri Bhupendra Singh was directed to submit his

representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted at the address given by the candidate in the presence of 2 local residencies on 19th July, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Meerut, *vide* its letter no. 650/29-1490 dt. 16th August, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Meerut in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 650/29-1490 dated 16th August, 2023 has reported that Shri Bhupendra Singh has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Bhupendra Singh has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Bhupendra Singh resident of Village-Baafar, Tehsil and District-Meerut, a contesting candidate from 43-Sivalkhas Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–35 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–704 निर्वाचन–22.11.2023–150 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 नवम्बर, 2023 ई० (अग्रहायण 04, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, अमरोहा, जनपद-अमरोहा

अधिसूचना

05 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 567/बाईलॉज/का0अ0/2023–सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद् अमरोहा ने अपनी सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग एतद द्वारा ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए निम्नलिखित उपनियमावली (विनियम) बनाती है। उपविधियों का प्रारूप यथा अपेक्षा अनुसार सभी नगर निवासियों को आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा दिनाक 06 सितम्बर, 2023 व सुपर न्यूज़ लीडर में प्रकाशित कराते हुए 15 दिवस के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव अधिशासी अधिकारी को सम्बोधित करते हुए कार्यालय को प्रेषित किये जायेगें। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो नियत तिथि तक प्राप्त होंगी निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त न होने की दशा में निम्नवत उपविधि का अन्तिम प्रकाशन किया जाता है। जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय-1

प्रारंभिक–

1–लघु-शीर्षक और प्रारंभ–

(i) इन विनियमों को ''अमरोहा फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2022'' कहा जायेगा।

(ii) ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से अमरोहा नगरपालिका परिषद की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2–परिभाषायें–

(i) **''एक्सेस कवर''** से तात्पर्य है–निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

(ii) N.P.P.A. **पंजीकृत वैक्यूम टैंकर"** से तात्पर्य है – राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका A.N.P.P द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफ0एस0एस0) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(iii) **''विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (**ADWWT)'' एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-थलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल हैं। डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

(iv) **''निर्दिष्ट अधिकारी''** से तात्पर्य है –N.P.P.A का ऐसा अधिकारी, जिस अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है;

(v) **''डी–स्लजिंग''** से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा N.P.P.A के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S) से एफ0एन0एस0 को खाली करने का काम अभिप्रेत है;

(vi) **''निपटान''**से एफ0एस0एस0 का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत हैः

(vii) **''उत्प्रवाही''** किसी ओएसएस से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है;

(viii) **''फीकल स्लज''** से ओएसएस की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज़ की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं भंडारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S) में भूजल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

(ix) **''फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (**A.F.S.S.T.P.)'' सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफ0एस0एस0 ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहॉ फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(x) ''**लाइसेंस**'' से तात्पर्य है – किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें N.P.P.A के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

(xi) **''लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर''** से तात्पर्य है–डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति;

(xii) **''अधिसूचित स्थान''** से तात्पर्य है–एफ0एस0एस0 पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे N.P.P.A द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है;

(xiii) **''ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थता** (O.S.S.)'' ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्थता, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहॉ पर वह उत्पन्न होता है।

(xiv) **''प्रचालक''** से तात्पर्य है–एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिहवन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

(xv) **''व्यक्ति''** प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कम्पनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(xvi) **''शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग''**–सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाईजेशन (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0) की सिफारिशों के आधार पर 2–3 वर्ष के अंतराल पर ओ0एस0एस0 को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(xvii) **''सेप्टेज''** सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

(xviii) ''**सीवेज**'' अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है;

(xix) **''सीवर''** से तात्पर्य है–समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईप लाईन।

(xx) **''सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट**'' से तात्पर्य है–वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है;

(xxi) **''कार्यबल''** से तात्पर्य है – शहर में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है;

(xxii) N.P.P.A **के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी**'' से तात्पर्य है –N.P.P.A के स्वामित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिए N.P.P.A के सेवारत/अनुबंधित कर्मचारी,

(xxiii) **''परिवहन''** से तात्पर्य है–N.P.P.A पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना;

(xxiv) **''ट्रीटमेंट''** से तात्पर्य है–प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफ0एस0एस0/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया;

(xxv) **''वैक्यूम टैंकर"** एक ऐसा वाहन है जिसमें एफ0एस0एस0 को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी-स्लस किये गये एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए भी किया जाता है

(xxvi) **''अपशिष्ठ जल"** से तात्पर्य है–घरेलू/व्यवसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं हैं। आमतौर पर, यह मलजल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर,उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

अपशिष्ट जल प्रबंधन–

3–परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान–

प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात

(i) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथाः अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

(ii) अपशिष्ट जल को बी0एन0पी0पी0 द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(iii) जिस संपत्ति से प्रति दिन 10 हज़ार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सके। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फ्लशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) परिसर का अपशिष्ट जल ओ0एस0एस0 में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउट-लेट न हो।

अध्याय-3

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं–

4–ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव–

(i) ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथाः आशोधित ''मैन्युअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सी0पी0एच0ई0ई0ओ0'' के प्रावधानों के अनुसार अथवा N.P.P.A या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ii) ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) परिसर का मालिक/धारक N.P.P.A द्वारा यथा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

(iv) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र मे ं सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या N.P.P.A के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओ0एस0एस0 को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(vi) N.P.P.A या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। N.P.P.A परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज़, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

(vii) N.P.P.A अपने विवेक से, संपत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-4

एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग–

5-N.P.P.A द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना–

(i) N.P.P.A निजी ऑपरेटर/ऑपरेटरों द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर/टैंकरों का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में अमरोहा शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ii) N.P.P.A अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (आई0ई0सी0) गतिविधियां करेंगी, जहां उन्हें एफ0एस0एस0 को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iii) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा/करेगी। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iv) N.P.P.A एफ0एस0एस0 को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v) लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर होगा।

(vi) N.P.P.A आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगी। N.P.P.A अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। N.P.P.A को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में N.P.P.A मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6–लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड–

(i) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद-2 (xv) में परिभाषित ''व्यक्ति'' है।

(ii) आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सेक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

(iii) अमरोहा में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक N.P.P.A के साथ अपने वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक N.P.P.A अथवा N.P.P.A द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफ0एस0एस0 के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पी0पी0ई0 इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7–लाइसेंस के लिए आवेदन–

एफ0एस0एस0 के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और N.P.P.A के निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8–लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण–

बी0एन0पी0पी0 अपनी वेब-साइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, संभावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

9–लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क–

N.P.P.A लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन-शुल्क प्रभारित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा N.P.P.A के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10–परफॉरमेंस गारंटी–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि N.P.P.A द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले मे ंजब्त कर लिया जाएगा।

11–लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार–

N.P.P.A समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों को अपनी वेब-साइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12–जागरूकता अभियान–

N.P.P.A इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरुक करेगी।

अध्याय–5

एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन–

13–संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा–

(i) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए N.P.P.A के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या N.P.P.A के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा/करेगी कि डी-स्लजर/स्लजरों को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा/करेगी।

14–एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क–

(i) एफ0एस0एस0 को डी-स्जल करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को N.P.P.A के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय -समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) जब N.P.P.A शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को 'सैनिटेशन चार्ज' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय -समय पर N.P.P.A द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय -समय पर N.P.P.A द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा/करेगी।

(iv) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15–एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए वाहन–

(i) एफ0एस0एस0 को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर/ऑपरेटरों या N.P.P.A के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा ही डी-स्जल एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जाएगा।

(ii) वैक्यूम टैंकर/टैंकरों को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्ते पूरी न की गई हों। ऐसे मामलों में, सम्बन्धित ऑपरेटर को इस निश्चित समय-सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii) एफ0एस0एस0 के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय -समय पर N.P.P.A द्वारा चिन्हित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(iv) एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर N.P.P.A द्वारा जारी किये गए ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(v) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में ''सेप्टिक टैंक वेस्ट'' (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जाएगा।

(vi) एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और N.P.P.A द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिए जाएंगे।

16–परिवहन के दौरान सावधानियां–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17–दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्कम उपाय–

एफ0एस0एस0 को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

18–दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता–

किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा/होगी और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19–तैनात कर्मी/कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' में तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20–एफ0एस0एस0 का निपटान–

(i) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय -समय N.P.P.A द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफ0एस0एस0 का निपटान करेगा/करेगी।

(ii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत् तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफ0एस0एस0 की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म N.P.P.A के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा/करेगी।

21–कर्मी/कर्मियों का प्रशिक्षण–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफ0एस0एस0 के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी/कर्मियों के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

22–कर्मी/कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी कि प्रत्येक कर्मी/कर्मियों की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम-से-कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख N.P.P.A को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23–बीमा–

एफ0एस0एस0 को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मियों को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम-2013'' और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जायेगा।

24–लाइसेंस रद्द करना–

इन विनियमों सहित ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी/अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार परफॉरमेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-6

एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान

25–उपचार/निपटान स्थल/स्थलों की पहचान–

N.P.P.A ऐसे स्थान/स्थानों की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या N.P.P.A के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जायेगा।

26–एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन–

N.P.P.A आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन/वाहनों द्वारा लाए गए एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थान/स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27–एफ0एस0एस0 प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती–

प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु बी0एन0पी0पी0 पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28–एफ0एस0एस0 प्राप्ति का समय–

N.P.P.A द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान/स्थानों पर N.P.P.A के तैनात कर्मियों द्वारा एफ0एस0एस0 प्राप्त किया जायेगा।

29–औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए–

औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफ0एस0एस0 को अधिसूचित स्थान/स्थानों पर अनुमति नहीं दी जायेगी।

30–एफ0एस0एस0एम0 में प्रशिक्षण–

बी0एन0पी0पी0 द्वारा अधिसूचित स्थान/स्थानों पर तैनात कर्मियों को एफ0एस0एस0 प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

31–उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का पुनः उपयोग–

(i) N.P.P.A किसानों को अनुपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी और एफ0एस0एस0टी0पी0 से उपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ii) N.P.P.A शहर में डी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0टी0 से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आस-पास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिये करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए N.P.P.A से परामर्श करेगा।

अध्याय-7

प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32–प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन–

(i) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित हैं, जिन्हें विधिवत तौर पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए N.P.P.A समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिये उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33–निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार–

इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से N.P.P.A के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34–उल्लंघन और दंड–

(i) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिये नोटिस जारी किया जायेगा।

(ii) (कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा(होगी), यदि ऐसा व्यक्ति–(क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गये अधिकार के तहत कार्य करने वाले N.P.P.A के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी-स्लज करने के लिये हाथ से किये जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जायेगा, और साथ ही एफ0एस0एस0 परिवहन वाहन, एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जायेगा, जैसा भी मामला हो।

(iv) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले मे जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाये गये व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपए (रु0 5,000) के जुर्माने के साथ दंडित किया जायेगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपए (रु0 1,000) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिये उस अवधि हेतु दंडित किया जायेगा।

(v) संदेह के समाधान के लिये, एतद घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35–अपील–

कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत N.P.P.A के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता/सकती है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36–विवाद समाधान उपबंध–

कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल अमरोहा शहर होगा।

37–संदर्भ दस्तावेज–

नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिये, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किये गये मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किये जायेंगे।

38–राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे–

राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिये एफ0एस0एस0डब्ल्यू0एम0 के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

निबंधन एवं शर्तें–

I. मल कीचड़ और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का संग्रहण एवं परिवहन केवल ऐसे अभिकरण द्वारा किया जायेगा जिनके पास इस उद्देश्य हेतु नगर पालिका परिषद् अमरोहा (N.P.P.A) से जारी किया गया वैध लाइसेंस हो।

II. मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्र (एफ0एस0एस0टी0पी0) तक एफ0एस0एस0 के संग्रहण और परिवहन के लिए लिया जाने वाला शुल्क समय-समय पर N.P.P.A द्वारा निर्धारित किया जायेगा। कोई भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ओ0एस0एस0 के मालिक/मालकिन से निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं वसूल करेगा।

III. एफ0एस0एस0 का परिवहन केवल उन अनुमोदित वाहनों से होगा, जिन्हें N.P.P.A द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने अनुमति दी हो।

IV. लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एफ0एस0टी0पी0 तक परिवहन के दौरान एफ0एस0एस0 का कोई रिसाव नहीं हो रहा है।

V. डिस्लजिंग बिन्दु से एफ0एस0एस0टी0पी0 तक एफ0एस0एस0 को ले जाने वाले वाहन के चलने के दौरान किसी भी दुर्घटना के होने के कारण प्रदूषण के खतरे का ध्यान रखने के लिये निर्धारित उपकरण लगाया जायेगा।

VI. एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण लगाया जायेगा और बी0एन0पी0पी0 और N.P.P.A द्वारा अधिसूचित एजेंसी को इसकी पहुंच/एक्सेस का अधिकार ऐसे वाहनों की निगरानी के लिए दिया जायेगा।

VII. किसी भी दुर्घटना के होने अथवा आपदा की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति और पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान के लिये लाइसेंसधारी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

VIII. एफ0एस0एस0 के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

IX. वाहन/टैंकर को पीले रंग से रंगा जायेगा तथा लाल रंग में ''सेप्टिक टैंक वेस्ट'' (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जायेगा।

X. लाइसेंसधारी एफ0एस0एस0 को केवल निर्दिष्ट एफ0एस0एस0टीपी/नामित स्थानों में ही निपटान करेगें।

XI. एफ0एस0एस0टी0पी0 पर एफ0एस0एस0 सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। लाइसेंसधारी इस तरह से ट्रिप की योजना बनायेगा, ताकि तय किये गये समयावधि के भीतर टैंक को निर्दिष्ट स्थानों में खाली किया जा सके।

XII लाइसेंसधारी तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होगा, जो किसी दुर्घटना की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिये उपाय करने, एफ0एस0एस0 के संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रभावी सेवायें प्रदान करने सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करने आदि के लिये होगा।

XIII लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होगा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और लाइसेंस के नवीनीकरण के समय बी0एन0पी0पी0 को इससे संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाये।

XIV एफ0एस0एस0 की सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिये तैनात कर्मचारियों का लाइसेंसधारी द्वारा बीमा किया जायेगा।

XV इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और लाइसेंसधारी की बयाना-राशि/सुरक्षा-राशि को जब्त कर लिया जायेगा, और साथ ही साथ वह इन नियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित अर्थदंड का भुगतान करने के लिये भी जिम्मेदार होगें।

परिशिष्ट–5

दंड और जुर्माना

{ इस विनियम के खंड 3, 4, 5, 6, 17, 18, 25, 26 और 31 को देखें}

क्र0 सं0	विवरण	विनिमय	सांकेतक जुर्माना	जुर्माना (रूपये या किसी अन्य दण्डात्मक रूप में कार्यवाही
1	2	3	4	5
			रु0	
1.1	नाली/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधे/असुरक्षित निर्वहन	3	50	
1.2	लगातार दूसरी बार उल्लघंन करना	3	50	
1.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लघंन करना	3	15 रू0 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	4	50	
2.2	लगातार दूसरी बार उल्लघंन करना	4	50	
2.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लघंन करना	4	15 रू0 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
3.1	बीएनपीपी पंजीकरण के बिना वैक्यूम टैंकर(रों) को आपरेट करना	5	50	
3.2	लगातार दूसरी बार उल्लघंन करना	5	50	
3.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लघंन करना	5	15 रू0 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	यातायात नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण(णों) के बिना वैक्यूम टैंकर(रों) को आपरेट करना	6	50	
4.2	लगातार दूसरी बार उल्लघंन करना	6	50	
4.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लघंन करना	6	15 रू0 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	आकस्मिक छलकाव (स्पिलेज) पर ध्यान न देने पर गैर-अनुपालन	17,18	1000	
5.2	लगातार दूसरी बार उल्लघंन करना	17,18	1000	
5.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लघंन करना	17,18	100 रू0 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
6.1	एफ0एस0एस0टी0पी0/एस0टी0पी0 से अनुपचारित एफ0एस0एस0डब्ल्यू0 का निर्वहन	25, 26, 31	1000	
6.2	लगातार दूसरी बार उल्लघंन करना	25, 26, 31	1000	
6.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लघंन करना	25, 26, 31	1000 रू0 प्रतिदिन	सम्पत्ति की जब्ती
7.1	नगर पालिका परिषद्, अमरोहा द्वारा अधिसूचित स्थान के अलावा अनुपचारित एफ0एस0एस0 का निर्वहन	25, 26, 31	1000	
7.2	लगातार दूसरी बार उल्लघंन करना	25, 26, 31	1000	
7.3	लगातार तीसरी बार और अनुवर्ती उल्लघंन करना	25, 26, 31	1000 रू0 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, अमरोहा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमार सिद्धार्थ पुत्र प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव, निवासी 265/8डी/3डी/5 पत्रकार कालोनी एक्टेंशन नियर अर्चना पार्क नवादा, अशोक नगर, प्रयागराज, मेरे पिता का सही नाम प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल सह अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक यू0आई0डी0 6948025/इंडेक्स नं0 1196087/069) तथा मेरे इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक यू0आई0डी0 6948025/इंडेक्स नं0 2213758/021) में मेरे पिता का नाम प्रफुल्ल कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है।

कुमार सिद्धार्थ,
पुत्र प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव,
निवासी 265/8डी/3डी/5,
पत्रकार कालोनी एक्टेंशन नियर
अर्चना पार्क, नवादा,
अशोक नगर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम चन्द्र प्रकाश पुत्र मुरलीधर लाल श्रीवास्तव अंकित है। कुछ अभिलेखों में चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र मुरलीधर लाल श्रीवास्तव अंकित है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं भविष्य में मुझे चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र मुरलीधर लाल श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जावे।

चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव,
नि0–म0नं0 9 गायत्री नगर सनिगवां रोड,
चकेरी, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम राम सहाय मणि त्रिपाठी है जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के सह-अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक 6203437) में मेरे पिता का नाम अमर मणि त्रिपाठी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। निष्ठा मणि त्रिपाठी, पता म0 नं0 307, सी0एस0ए0 नगर कालोनी, दरोगा खेड़ा, लखनऊ।

2–यह कि उक्त सूचना के समस्त जिम्मेदारी स्वयं शपथिनी की होगी।

निष्ठा मणि त्रिपाठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजय कुमार त्रिपाठी पुत्र सोमेश्वर त्रिपाठी निवासी 4/117 ई0डब्लू0एस0 आवास विकास कालोनी योजना नं0-3, झूंसी, प्रयागराज। मेरे पुत्र निहाल त्रिपाठी के विद्यालय सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, सेक्टर-1, योजना नं0-3 आवास विकास कालोनी, झूंसी, प्रयागराज के अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश अजय त्रिपाठी एवं मेरी पत्नी का नाम त्रुटिवश मोना त्रिपाठी लिख गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम अजय कुमार त्रिपाठी एवं मेरी पत्नी का सही नाम उर्मिला त्रिपाठी है जो मेरे पुत्र के अभिलेखों में भी अंकित है। अतः मेरे व मेरी पत्नी का सही नाम अजय कुमार त्रिपाठी व उर्मिला त्रिपाठी पढ़ा-लिखा व समझा जाये।

अजय कुमार त्रिपाठी,
पुत्र सोमेश्वर त्रिपाठी,
निवासी 4/17 ई0डब्लू0एस0,
आवास विकास कालोनी,
योजना नं0-3, झूंसी,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम आयशा खातून (Ayasha Khatoon) है जो उनके आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के अंक-पत्र में मेरी माता का नाम हाई स्कूल (अनुक्रमांक 5152027 वर्ष 2017 में) Ayasha Khan तथा इण्टरमीडिएट (अनुक्रमांक 5744841 वर्ष 2017

में) Ayasha Khan आयशा खान अंकित हो गया है जो कि गलत है।

जुनेद खान,
पुत्र जान मोहम्मद खान, निवासी,
ग्राम पीठापुर मिझौडा, पोस्ट रामबाबा,
तहसील भीटी, जिला अम्बेडकरनगर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी साझेदारी फर्म मे0 अरिहन्त इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्लॉट नं0-ई-32 यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0, कोसी कोटवान, कोसी कलां, मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह है कि दिनांक 14.08.2023 को श्रीमती सोनाली जैन पत्नी श्री अमर जैन, निवासी 158/1 ज्ञान भवन, ग्वालियर रोड, बालूगंज, आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तद्दिनांक 14.08.2023 को ही श्रीमती नीता जैन पत्नी श्री जे0के0 जैन, निवासी 29/73 जैन गली, छीपीटोला, आगरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गई हैं तथा दिनांक 07.10.2023 को श्री यश गुप्ता पुत्र श्री योगेश कुमार गुप्ता, निवासी ए-43 एक्वा टावर एमीनेन्ट खन्दारी रोड, आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है तद्दिनांक 07.10.2023 को ही श्रीमती सोनाली जैन पत्नी श्री अमर जैन, निवासी 158/1 ज्ञान भवन, ग्वालियर रोड, बालूगंज, आगरा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक् हो गई हैं। अब फर्म में श्री अमर जैन तथा श्री यश गुप्ता साझेदार हैं।

अमर जैन,
साझेदार,
मे0 अरिहन्त इण्डस्ट्रीज (इण्डिया),
प्लॉट नं0-ई-32 यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0,
कोसी कोटवान, कोसी कलां, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मै0 आदिनाथ बिल्डर्स आगरा, 52-ए, अमित नगर कॉलोनी, देवरी रोड, थाना सदर बाजार, आगरा–282001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक 01.11.2023 को श्री मदन गोपाल पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी–ग्वालियर रोड, ग्राम ककुआ आगरा, श्री हाकिम सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी–ग्वालियर रोड, ग्राम ककुआ, आगरा तथा श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री साहब सिंह, निवासी ग्वालियर रोड, ग्राम ककुआ, आगरा फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। फर्म का पता परिवर्तित कर फ्लैट नं0 508, 5 फ्लोर मारूती प्लाजा, संजय प्लेस, आगरा–282002 कर दिया गया है। अब फर्म में श्री राजेन्द्र सिंह कर्दम तथा मोनिका सिंह साझेदार हैं।

राजेन्द्र सिंह कर्दम,
साझीदार,
मै0 आदिनाथ बिल्डर्स आगरा,
52–ए, अमित नगर कॉलोनी,
देवरी रोड,
थाना सदर बाजार, आगरा–282001 ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै0 ''विजन एक्सपोर्ट्स' पता फरीदपुर सम्भल रोड, नियर गागन का तिराहा, जिला मुरादाबाद (यू0पी0) नामक फर्म में दिनांक 25.10.2023 को श्री इफ्तिखार अली पुत्र हाजी अब्दुल कय्यूम, निवासी 144, लाजपत नगर, जिला मुरादाबाद शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री दानिश अली, श्री तारीक अली व श्री इफ्तिखार अली रह गये हैं।

दानिश अली,
साझीदार,
फर्म मै0 ''विजन एक्सपोर्ट्स',
पता फरीदपुर सम्भल रोड,
नियर गागन का तिराहा,
जिला मुरादाबाद,
(यू0पी0)।

NOTICE

It is notified that in my Aadhar card (834632354509) and other documents my name is mentioned as RAMA SHANKER MISHRA. In my Son AYUSH MISHRA's educational documents, father's name is mentioned as R. S. MISHRA. It is declared that R. S. MISHRA and RAMA SHANKER MISHRA are one and the same person. I be known as Rama Shanker Mishra in future for all purposes.

Rama Shanker Mishra
S/o Late Ram Dayal Mishra,
E-105 Sector-I, L.D.A. Colony,
Kanpur Road, Lucknow,
Uttar Pradesh-226012.

NOTICE

I hither to known as Shashi Singh W/o Badan Singh, R/o T-41, Pallavpuram-II, Roorkee Road, Meerut, (Native District Moradabad), Uttar Pradesh-250110. have changed my name and shall hereafter be known as Shashi Bala Siddhu.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shashi Singh.

सूचना

फर्म मे0 अजन्ता ग्लास वर्क्स, एस0एन0 मार्ग, फिरोजाबाद पत्रावली संख्या एजी-12186 में दिनांक 01 जुलाई, 2016 को श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 देवेन्द्र धर निवासी-12/4, एच0आइ0जी0 फ्लैट्स संजय प्लेस, आगरा, श्री मनोज धर पुत्र स्व0 देवेन्द्र धर निवासी-12/4, एच0आई0जी0 फ्लैट्स संजय प्लेस, आगरा फर्म की भगीदारी में सम्मिलित हुये मुकुल धर की मृत्यु हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारी साझेदारी विलेख दिनांक 08 अप्रैल, 2021 को श्रीमती सोनल धर पत्नी स्व0 मुकुल धर निवासी सब्जी मण्डी, फिरोजाबाद एवं श्री ध्रुव धर पुत्र स्व0 मुकुल धर निवासी सब्जी मण्डी, फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये तद्दिनांक को श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व0 देवेन्द्र धर निवासी-12/4, एच0आइ0जी0 फ्लैट्स संजय प्लेस, आगरा, अजय कुमार गर्ग पुत्र स्व0 देवेन्द्र धर निवासी-सब्जी मण्डी, फिरोजाबाद एवं मनोज धर पुत्र स्व0 देवेन्द्र धर निवासी-12/4, एच0आई0जी0 फ्लैट्स, संजय प्लेस, आगरा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये दिनांक 02 अप्रैल, 2022 को सत्यम धर पुत्र श्री बिपेन्द्र धर निवासी-सब्जी मण्डी, फिरोजाबाद फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये तद्दिनांक को श्रीमती सोनल धर पत्नी स्व0 मुकुल धर निवासी-सब्जी मण्डी, फिरोजाबाद एवं श्री ध्रुव धर पुत्र स्व0 मुकुल धर निवासी-सब्जी मण्डी, फिरोजाबाद अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हुये दिनांक 01 जनवरी, 2023 को अमन जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन निवासी-204, जिन्जर-2, ऑर्चिड ग्रीन, फिरोजाबाद, प्रान्जल मित्तल पुत्र श्री दिलीप कुमार मित्तल निवासी-7-8 बी-ब्लॉक, गणेश नगर, फिरोजाबाद, स्पर्श मित्तल पुत्र श्री मनोज कुमार मित्तल निवासी-7-8 बी-ब्लॉक, गणेश नगर, फिरोजाबाद, प्रयांश मित्तल पुत्र श्री विनीत मित्तल निवासी-7-8 बी-ब्लॉक, गणेश नगर, फिरोजाबाद, को फर्म की भागीदारी में सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान फर्म में भागीदारी श्री बिपेन्द्र धर, श्री सत्यम धर, श्री अमन जैन, प्रान्जल मित्तल, श्री स्पर्श मित्तल, प्रियांश मित्तल है।

बिपेन्द्र धर,
साझेदार,
मे0 अजन्ता ग्लास वर्क्स,
एस0एन0 मार्ग, फिरोजाबाद।

पी0एस0यू0पी0—35 हिन्दी गजट—भाग 8—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।